खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विस्तार और विकास

*68. श्री राजीव रंजन सिंह ''ललन''††

श्री राम जेठमलानी: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार और विकास के लिए कोई समयबद्ध योजना कार्यान्वित करने का निर्णय किया है? जिससे लगभग 50,000 करोड़ रुपये मूल्य के फलों व सब्जियों को बिना उपयोग किए नष्ट होने से बचाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या योजना है;

(ग) क्या यह सच है कि इस उद्योग के विस्तार के लिए करों में राहत देने के स्थान पर गत वर्षों में करों में वृद्धि की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन॰ टी॰ षणमुगम): (क) से (घ) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार और विकास के लिए बहुत-सी नीतिगत पहल की है। हाल ही में, सरकार ने 10वीं योजना के लिए 250 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाली आधारभूत संरचना विकास संबंधी एक स्कीम अनुमोदित की है। यह स्कीम खाद्य पार्कों की स्थापना, कोल्ड चेन सुविधाओं की स्थापना, प्रदीपन सुविधाओं के लिए सहायता, मूल्यवर्धित केन्द्रों की स्थापना और बूचड़खानों के आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रौद्योगिकी उन्नयन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/आधुनिकीकरण संबंधी एक अन्य स्कीम शुरू की गई है। ये दोनों स्कीमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार और विकास में साथ-साथ सहायता देंगी और आशा है कि इनसे फसलोत्तर नुकसान जोकि लगभग 30,000 से 50,000 करोड़ रुपये तक है में काफी कमी आएगी।

(ग) और (घ) सरकार ने वर्ष 2001-02 के केंद्रीय बजट में, फलों और सब्जी उत्पाद पर लगने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को 16% से घटाकर 0% कर दिया है। इसके अलावा, सिक्किम, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित पूर्वोत्तर के कतिपय प्रसंस्कृत खाद्यों को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है। सरकार कर ढांचे/पद्धतियों को तर्कसंगत बनाने के लिए समय-समय पर उपाय कर रही है। यहां तक कि सिक्किम, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर में स्थापित कतिपय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों सहित विशिष्ट प्राथमिकता वाले उद्योगों को आयकर से छूट उपलब्ध कराई गई है।

---

††सभा में यह प्रश्न श्री राजीव रंजन सिंह ''ललन'' द्वारा पूछा गया।

Expansion and Growth of FPIs

†*68. SHRI RAJIV RANJAN SINGH 'LALAN'††
SHRI RAM JETHMALANI:

Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to implement a time-bound scheme for expansion and growth of food processing industry in the country so that fruits and vegetables worth Rs. 50,000 crore could be saved from being perished without being used;

(b) if so, the scheme of the Government in this regard;

(c) whether it is a fact that instead of given tax-relief to this industry for its expansion, the taxes have been increased during preceding years; and

(d) if so, the facts in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI N.T. SHANMUGAM): (a) to (d): A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Government have taken a number of policy initiatives for expansion and growth of Food Processing Industries. Recently, Government has approved a scheme of Infrastructure Development for the 10th Plan at a total outlay of Rs. 250 Crores. This scheme encourages setting up Food Parks, establishment of cold chain facilities, assistance for irradiation facilities, setting up of value added centres and modernization of abattoirs. Another scheme for technology Upgradation, establishment/ modernization of Food Processing Industries has been launched.These schemes together will help in expansion and growth of Food Processing industries and are expected to considerably reduce the post-harvest losses which is estimated to be Rs. 30,000 to Rs. 50,000 crores.

(c) and (d) Govt. has reduced Central Excise duty on fruits and vegetable products from 16% to 0% in Union Budget for 2001-02. Further, exemption from Excise Duty has been extended to certain processed foods in the North East including Sikkim, Uttaranchal, Himachal Pradesh and Jammu & Kashmir. Government has been taking steps from time to

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Rajiv Ranjan Singh 'Lalan'.

time for rationalization of the tax structure/systems. Even Income Tax exemption has been provided for the specified thrust area industries including certain Food Processing Industries set up in the North East including Sikkim, Uttaranchal and Himachal Pradesh.

श्री राजीव रंजन सिंह ''ललन'': सभापति महोदय, सरकार ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि तीस हजार से पचास हजार करोड़ रुपए तक की सालाना फल और सब्जियां हम लोगों के यहां बरबाद हो जाती हैं और उसके लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने कहा है कि 250 करोड़ रुपए का इंवेस्टमेंट करने जा रहे हैं। महोदय, नेशनल कौंसिल फॉर एप्लाई इकोनॉमिक रिसर्च की एक स्टडी रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है कि टेंथ फाइव ईयर प्लान में बान्वें हजार दो सौ आठ करोड़ रुपए के इंवेस्टमेंट के बाद 8 परसेंट के जीडीपी ग्रोथ रेट को प्राप्त किया जा सकता है। तो वैसी स्थिति में सरकार जो दो सौ पचास करोड़ रुपए इंवेस्टमेंट करके किस प्रकार 8 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ रेट को प्राप्त कर पाएगी, हम सरकार से यह जानना चाहते हैं?

SHRI N.T. SHANMUGAM: Sir, I share the concern of the hon. Member as regards the food processing industries. There is a wastage of raw materials ranging from 8 to 37 per cent; in monetary value that comes to Rs. 25,000 crores to 50,000 croes. Our Ministry is initiating six schemes in the 10th Plan to reduce the wastages.

श्री राजीव रंजन सिंह ''ललन'': महोदय, हमारा सवाल है कि बान्वें हजार दो सौ आठ करोड़ रुपए के बदले दो सौ पचास करोड़ रुपए खर्च करके आप 8 परसेंट जीडीपी ग्रोथ रेट को कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

श्री सभापति: वे समझ गए हैं।

SHRI N.T. SHANMUGAM: Sir, we are expecting an investment of Rs. 92,000 crores in the 10th Plan from the public as also the Government. But only Rs. 250 crores have been provided for infrastructure development scheme in the 10th Plan, that is, for cold chain facilities, setting up Food Parks, irradiation facilities, etc. For setting up Food Parks, we are providing an assistance of Rs. four crores all over India. We are giving formal infrastructure facilities for food processing industries. So far, we have created 40 Food Parks all over India. Also, at the packaging centres, we are providing assistance of Rs. two crores, that is, a minimum of 25 per cent and maximum of Rs. 2 crores. Also, for cold storage facilities, we are providing Rs. 75 lakh. So far, we have set up in the 9th Plan 53 cold storage facilities and provided an assistance of Rs.14.86 crores.

श्री सभापति: नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री राजीव रंजन सिंह ''ललन'' : मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है सर।

श्री सभापति: हो गया आपका सप्लीमेंट्री। जो पहले जवाब दिया उससे सेटिस्फाइड हैं न आप?

69. [The questioner (Shri Rama Muni Reddy Sirigireddy was absent for answer *vide* Page 37 *infra*.]

विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए ड्रेस कोड

***70. श्री मोती लाल वोरा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ विश्वविद्यालयों में छात्राओं के लिए ड्रेस कोड जारी किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि छात्राएं उक्त कोड का विरोध कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) ऐसे विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) देश में विश्वविद्यालयी शिक्षा के मानकों के समन्वय निर्धारण तथा अनुरक्षण के लिए संसद के अधिनियम द्वारा 1956 में एक सांविधिक संगठन के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संस्थाओं की छात्राओं हेतु ड्रेस कोड के संबंध में कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं।

Dress code for girl Students in Universities

†70. SHRI MOTILAL VORA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some Universities have prescribed dress code for the girl students;

(b) if so, the justification thereof;

(c) whether it is also a fact that girl students are opposing the said move;

†Original notice of the question was received in Hinci.